GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2] No. 2] दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2010, बृहस्पतिवार /पौष 18-पौष 24, 1931 DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2010, THURSDAY/PAUSA 18—PAUSA 24, 1931 [रा.स.स.क्षेदि. सं 282] [N.C.T.D. No. 282]

भाग —IV

भाग —IV PART –IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण आदेश

दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (1006)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9609.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्रधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिट्स लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दिरयागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 27,67,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर्स (सीरीज-ओ) जिनकी पृथक संख्या 0128126 से 0130892 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2767 (रुपये दो हजार सात सौ सड़सठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 11th January, 2010

No. F. 10(1006)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9609.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,767 (Rs. Two Thousand Seven Hundred Sixty Seven) only on the aggregate value of debentures of Rs. 27,67,000 for issue of Secured, redeemable, Non Convertible, debentures Series 'O' bearing distinctive No. 0128126 to 0130892 to be issued by the said company.

177 DG/2009

(11)

सं. फा. 10 (996)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9611.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेरामाउंट फार्मर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., के-4, एनडीएसई-2, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,96, 35,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3710001 से 5673500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 19635 (रुपये उन्नीस हजार छ: सौ पैतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(996)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9611.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Paramount Farms International Private Limited, K-4, NDSE-II, New Delhi-110049, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19635 (Rs. Nineteen Thousand Six Hundred Thirty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,96,35,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 3710001 to 5673500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (960)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9612.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 925,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिबेन्चर्स के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00009250 (सीरीज 60-बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(960)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9612.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001,

shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,6 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 925,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 60B bearing distinctive No. 00000001 to 00009250 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (961)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9613.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 175,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टींबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर्स के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00001750 (सीरीज 60-ए) है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(961)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9613.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 175,00,00,000 for issue of Unsecured redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 60A bearing distinctive No. 00000001 to 00001750 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (976)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9614.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. उर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1216,60,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टींबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00012166 (सीरीज 59-बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000

्रेस्पये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(976)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9614.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1216,60,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 59-B bearing distinctive No. 00000001 to 00012166 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (975)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु,/08/9615.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 288,20,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर्स के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00002882 (सीरीज 59-ए) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000(रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(975)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9615.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 288,20,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 59-A bearing distinctive No. 00000001 to 00002882 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1013)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 9616.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलोजिज प्रा.लि., एन-23-बी, ब्लाक-एन, डीडीए फ्लैट, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,38,80,000 मूल्य के, फुल्ली कनवर्टीबल, डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 16,75,565 से 17,19,444 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,09,700 (रुपये एक लाख नौ हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1013)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9616.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,09,700 (Rs. One Lac Nine Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of debentures of Rs. 4,38,80,000 for issue of fully Convertible debentures bearing distinctive No. 16,75,565 to 17,19,944 to be issued by the said company.

दिल्ली 12 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (994)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9622.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डालिकया इंडिया प्रा. लि., बी-1, मार्बल आर्क, 9, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,94,08,020 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 05800001 से 07740802 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 19,409 (रुपये उन्नीस हजार चार सौ नौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 12th January, 2010

No. F. 10(994)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9622.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dalkia India Private Limited, B-1, Marble Arch, 9 Prithviraj Road, New Delhi-110011, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,409 (Rs. Nineteen Thousand Four

Hundred Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,94,08,020 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 05800001 to 07740802 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1003)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/9625.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री असीमोरी इंडिया प्रा.लि. 202–206, टाल्सटाय हाउस, 15 टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,00,15,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,006 से 1,50,51,505 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,50,015 (रुपये एक लाख पचास हजार पन्द्रह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1003)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9625.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ashimori India Private Limited, 202–206, Tolstoy House, 15, Tolstoy Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,50,015 (Rs. One Lac Fifty Thousand Fifteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,00,15,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 50,006 to 1,50,51,505 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1002)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/9626.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री असीमोरी इंडिया प्रा.लि. 202-206, टाल्सटाय हाउस, 15, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,050 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,005 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 501 (रुपये पांच सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1002)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9626.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue

Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ashimori India Private Limited, 202–206, Tolstoy House, 15, Tolstoy Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 501 (Rs. Five Hundred One) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,050 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 50,005 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (722)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/ 9627.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैक्स न्यू यार्क लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि., मैक्स हाउस, 1 डा. झा. मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020 द्वारा अग्रिम मुद्रांक शल्क के रूप में रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख) जो कि उनके द्वारा जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

No. F. 10(722)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9627.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max Newyork Life Insurance Company Limited, Max House, 1 Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period January, 2010 to March, 2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorised Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा. 10 (1017)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/9628.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्रोस्ले रेमिडिज लि., ए-14, पुष्पांजली, विकास मार्ग एक्टे., नई दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले

र्भये 4,78,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,25,92,891 से 5,73,77,890 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 47,850 (रुपये सैंतालीस हजार आठ सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1017)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9628.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crosslay Remedies Limited, A-14, Pushpanjali, Vikas Marg Extension, Delhi-110092, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 47,850 (Rs. forty Seven Thousand Eight Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,78,50,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 5,25,92,891 to 5,73,77,890 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1018)/मु. स. (मुख्या)/स. शू./08/ 9630. – गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैक्स बुपा हैल्थ इन्ह्योरेन्स कम्पनी लि. 1, डॉ. झा मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,50,95,00,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000,50,001 से 15,10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 15,09,500 (रुपये पन्द्रह लाख नौ हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1018)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9630.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max Bupa Health Insurance Company Limited, 1, Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,09,500 (Rs. Fifteen Lac Nine Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,50,95,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 000,50,001 to 15,10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1015)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/ 9631.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय 177 DG/10-2

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मिनरवा फलेवर्स एण्ड फ्रेगरेन्स प्रा.लि., 1101, इन्द्राप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,07,31,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,75,677 से 37,48,836 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,732 (रुपये तीस हजार सात सौ बत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1015)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9631.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Minerva Flavours and Fragrance Private Limited, 1101, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,732 (Rs. Thirty Thousand Seven Hundred Thirty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,07,31,600 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 6,75,677 to 37,48,836 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (997)/पु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 9634.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या ग्लोबल स्टील ट्यूब्स लि., 302, तीसरी मंजिल, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 350,45001 से 47045000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 120000 (रुपये एक लाख बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(997)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9634.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Global Steel Tubes Limited, 302, 3rd floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,20,000 (Rs. One Lac Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,20,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 35045001 to 47045000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1008)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 9635.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेब स्टील लायड (इंडिया) लि., 2, पुंज स्टार प्रमिसिज, कालकाजी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,00,001 से 15,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1008)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9635.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Peb Steel Lloyd (India) Ltd., 2, Punj Star Premises, Kalkaji Industrial Area, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10,00,001 to 15,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (958)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु /08/9641.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीएक्स एडवाईजर्स प्रा. लि., डी-15, दूसरी मंजिल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,05,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,500 (रुपये दस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनीकरेगी।

No. F. 10(958)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9641.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. CX Advisors Private Limited, D-15, IInd Floor, Defence Colony, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,500 (Rs. Ten Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,05,00,000 for Equity Share certificates with Distinctive Nos. 1 to 10,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (885)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9648.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आई केयर हैल्य प्रोजेक्टस एण्ड रिसर्च प्रा. लि., 227, ओखला इस्टेट फेस-3, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,00,29,350 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 30,02,935 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,030/-(रुपये तीस हजार तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(885)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9648.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. I care Health Project and Research Private Limited, 227, Okhla Estate Phase III, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,030/- (Rs. Thirty Thousand Thirty) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,00,29,350 for Equity Share certificates with Distinctive No. 01 to 30,02,935 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1019)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9649.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेय फेयर इन्वैस्टमेन्टस प्रा.लि., सी-41, मेय फेयर गार्डन, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 44,50,00,000 मूल्य के डिबेन्चर सीरीज-II 13.50%, अनरेटिड अनिलस्टीड सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, जिनकी पृथक संख्या 001 से 445 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,45,000/- (रुपये चार लाख पैतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1019)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9649.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mayfair Investments Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,45,000 (Rs. Four Lac Forty Five Thousand) only on the aggregate value of Debentures

of Rs. 44,50,00,000 for issue of Debenture (Series-II) 13.50% unrated, unlisted, secured, redeemable, non convertible, Debentures bearing distinctive No. 001 to 445 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1020)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9650.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेय फेयर इन्वैस्टमेन्ट्स प्रा.लि., सी-41, मेय फेयर गार्डन, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 62,00,00,000 मूल्य के डिबेन्चर, (सीरीज-1) 13.25%, अनरेटिड, अनिलस्टीड सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, जिनकी पृथक संख्या 001 से 620 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,10,000 (रुपये तीन लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1020)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9650.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mayfair Investments Private Limited, C-41, Mayfair Gardens, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,10,000 (Rs. Three Lac Ten Thousand) only on the aggregate value of debentures of Rs. 62,00,00,000 for issue of Debentures (Series-I) 13.25% unrated, unlisted, secured, redeemable non convertible Debenture bearing distinctive No. 001 to 620 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1012)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9651.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यूताका ऑटोपार्ट्स इंडिया प्रा.लि., 402 सी, जैना टावर-2, डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,00,000,0000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,20,00,001 से 5,30,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1012)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9651.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the

24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Yutaka Autoparts India Private Limited, 402-C, Jaina Tower-II, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,10,000 (Rs. One Lac Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 4,20,00,001 to 5,30,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1011)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/9652.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रोजेनवर्जर इलैक्ट्रोनिक कम्पनी इंडिया प्रा.लि. एच-3/157, दूसरी मंजिल, विकासपुरी, नई दिल्ली110018, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0010001 से 4500000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 45,000 (रुपये पैतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1011)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9652.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rosenberger Electronic Co. India Private Ltd., H-3/157, 2nd Floor, Vikaspuri, New Delhi-110018 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 45,000 (Rs. Forty Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,50,00,000 for Equity Share certificates with Distinctive No. 0010001 to 45000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (988)/मु, स. (मुख्या)/स. शु./08/9653.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री खिमजी रामदास इंडिया प्रा.लि., एस-45, औखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,95,00,000 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0000001 से 4950000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 49,500 (रुपये उनचास हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(988)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9653.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Khimji Ramdass India Private Limited, S-45, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 49,500 (Rs. Forty Nine Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,95,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 0000001 to 4950000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1005)/पु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9654.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नोबल रिसोर्सिज एण्ड ट्रेडिंग इंडिया प्रा.लि., एनबीसीसी प्लाजा, टावर नं. 4, पांचवीं मंजिल, सेक्टर-5, पुष्प विहार, साकते, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 15,60,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 65,96,273 से 66,11,872 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1560 (रुपये एक हजार पांच सौ साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1005)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9654.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Noble Resources and Trading India Private Limited, NBCC Plaza, Tower No. 4, 5th Floor, Sector 5, Pushp Vihar, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1560 (Rs. One Thousand Five Hundred Sixty) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,60,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 65,96,273 to 66,11,872 to be issued by the said company.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (998)/मु. स. (मुख्या.)/स. शू./08/9669.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लेकलेण्ड ग्लोब्ज एण्ड सेफटी एप्पारेल प्रा. लि., आर-13 और आर-14, एलजीएफ, अंसल चेम्बर-2, 6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये

1,24,09,490 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2465 कि. से 3706869 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12410 (रुपये बारह हजार चार सौ दस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

New Delhi, the 13th January, 2010

No. F. 10(998)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9669.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Lakeland Gloves and Safety Apparel Private Limited, R-13, and 14, LGF, Ansal Chamber-II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12410 (Rs. Twelve Thousand Four Hundred Ten) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,24,09,490 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 2465921 to 3706869 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1010)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/9673.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कन्ट्रोल्स एण्ड स्विचिगयर कोनट्रक्टर लि., 222, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,63,75,964 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,40,001 से 13,53,588 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,26,376 (रुपये एक लाख छब्बीस हजार तीन सौ छयत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1010)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9673.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Controls & Switchgear Contractors Limited, 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,26,376 (Rs. One Lac Twenty Six Thousand Three Hundred Seventy Sixs) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,63,75,964 for Equity Share certificates with distinctive No. 10,40,001 to 13,53,588 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1001)/मु. सं. (मुख्या.)/सं. शु./08/ 9674.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या मेन्यूफैक्चरिंग इंडिया लि. 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,59,31,000 मूल्य के इक्चिटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2067308 से 2626617 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 55,931 (रुपये पचपन हजार नौ सौ इकतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1001)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9674.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Manufacturing India Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 55,931/- (Rs. Fifty Five Thousand Nine Hundred Thirty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,59,31,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 2067308 to 2626617 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1009)/मु: स. (मुख्या)/स. शु /08/9675.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सी एण्ड एस एफासेस एमवी इंडिया प्रा. लि., 222, ओखला इंडिस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,98,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,00,001 से 69,80,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,800 (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1009)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9675.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. C & S Efacec MV India Pvt. Ltd., 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,800 (Rs. Nineteen Thousand Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,98,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 50,00,001 to 69,80,000 to be issued by the said company.

177 DG/10-3

दिल्ली, 14 जनवरी, 2010

सं. फा. 10 (951)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/9676.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री तोशिबा इंडिया प्रा. लि., छठी मंजिल, डॉ गोपाल दास भवन, 28 बाराखम्बा रोड, दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,000/— मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,92,70,501 से 3,42,70,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,000(रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, 14th January, 2010

No. F. 10(951)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9676.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Toshiba India Private Limited, 6th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Raod, Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,92,70,501 to 3,42,70,500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1016)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु/08/9677.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिनर्जिक्स हाइडो (इंडिया) प्रा. लि. जे-20, सरिता विहार नई दिल्ली-110076, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,95,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,79,461 से 4,04,210 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2495 (रुपये दो हजार चार सौ पिचानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1016)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9677.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Synergics Hydro (India) Private Limited, J-20, Sarita Vihar, New Delhi-110076 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2495 (Rs. Two Thousand Four Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of shares of

Rs. 24,95,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,79,461 to 4,04,210 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (991)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/9678.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडिया नैल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., केयर ऑफ परफेक्ट एकाउंटिंग एण्ड सेयर्ड सर्विसेज प्रा. लि. ई-20, पहली व दूसरी मंजिल, होजखास, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,20,60,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,52,38,567 से 3,24,44,566 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 72,060 (रुपये बहत्तर हजार साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(991)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9678.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Nails Manufacturing Private Limited C/o Perfact Accounting & Shared Services Private Limited, E-20, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 72,060/- (Rs. Seventy Two Thousand Sixty) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,20,60,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,52,38,567 to 3,24,44,566 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (981)/मु. स. (मुख्या.)/स. शू./08/9679.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सेनस इंडिया प्रा. लि., दूसरी मंजिल, 19, लोकल सोपिंग सेन्टर, नियर पुष्पा भवन, मदनिंगर, नई दिल्ली 110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 94,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 94,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9450/- (रुपये नौ हजार चार सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(981)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9679.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 15 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Axens India Private Limited, 2nd Floor, 19, Local Shopping Centre, Near Pushpa Bhawan, Madangir, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9450/- (Rs. Nine Thousand Four Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 94,50,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 94, 500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (973)/मु, स. (मुख्या.)/स. शू./08/9680.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब नेशनल बैंक, 7, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 500,00,00,000,000 मूल्य के अनसेक्योरेड नन-कनवरटेबल सर्बोडिनेटेड अपर टियर II बोण्ड जो कि (प्रोमोजरी नोट) के रूप में है, जिनकी पृथक संख्या 1 से 5000 (सिरीज-XI) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 34,00,000 (रुपये चौंतीस लाख) के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(973)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/9680.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaji Cama Place, new Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 34,00,000 (Rs. Thirty Four Lac) only on the aggregate value of Rs. 500,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated upper tier II bonds issue Series XI in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 5000 to be issued by the said company.

By Order Of Chief Controlling Revenue Authority Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Reveneue)